

प्रकरण क्र० / रिविजन/2018

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अवालिग्रह केंद्र इन्डौर के समक्ष
मित्रनी- 5515/2018/धार/भ०२।

68

दामोदर पिता लुणा सिर्वी
उम्र 45 साल धंधा काश्तकारी
निवासी- ग्राम लुहारी तें० कुक्षी
जिला- धार म.प्र.

प्रार्थी / प्रत्यर्थी

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इन्डौर संभाग इन्डौर
श्री नित्यनाथ अमोदी २०-०८-२०१८
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक २०-०८-१८
को प्रस्तुत।

864
20-08-2018

✓
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1-श्रीमती शांतीबाई पति स्व० जगदीश सिर्वी
उम्र 42 साल धंधा काश्तकारी
2-कु० करुणा पिता स्व० जगदीश आयु 23 वर्ष
3-कु० मनीषा पिता स्व० जगदीश आयु 20 वर्ष
4-कु० निवेदिता पिता स्व० जगदीश उम्र 11 वर्ष
निवासी- सभी ग्राम लुहारी तें० कुक्षी जि. धार
जिला- धार म.प्र.

प्रतिप्रार्थी / अपीलार्थी

5-लुणा पिता काना सिर्वी उम्र 70 वर्ष मृत
तर्फे वारिसान-

अ-झमुबाई पति स्व० लुणाजी सिर्वी उम्र 68वर्ष

नि० ग्राम लोहारी तह० कुक्षी जिला धार

ब-कमलीबाई पति जगदीश सिर्वी वयस्क

नि० ग्राम झापड़ी तह० मनावर जिला धार

स-भानीबाई पति गोविन्द सिर्वी वयस्क

नि० ग्राम मेताखेड़ी तह० मनावर जिला धार

द-वार्वतीबाई पति जगदीश सिर्वी वयस्क

नि० ग्राम लोहारी तह० कुक्षी जिला धार

6-रामेश्वर पिता लुणा सिर्वी उम्र 35 वर्ष

धंधा काश्तकारी

निवासी-ग्राम लुहारी तें० कुक्षी जि० धार

प्रतिप्रार्थी /प्रत्यर्थी

रिविजन धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय

उपरोक्त प्रार्थी अधिनस्त राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला
धार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अपील/16-17 में दिनांक 4-6-18 को पारित
आदेश से असंतुष्ट होकर यह रिविजन नियत अवधि में नियत न्याय शुल्क पर

[Signature]

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5515/2018/धार/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-12-18	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री एन0वे0गंगवाल उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 6-02-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> </p> <p>अध्यक्ष</p>	